शीर्ष प्राथमिकता

संख्या:– 815 /सत्तर–3–2020–08(20)/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज

2. कुलपति,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2020

विषयः– राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु करोना वाइरस(COVID-19) से बचाव हेतु परामर्श/एडवाइजरी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–813/सत्तर–3–2020–08(20)/2020, दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पृच्छा की गयी है कि 16 मार्च, 2020 से उनकी परीक्षा शुरू हो रही है, उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में क्या ये परीक्षायें स्थगित की जानी हैं अथवा यथावत् संचालित की जानी है।

2– शासनादेश दिनांक 13.03.2020 के प्रस्तर–2(1) में निम्नवत् उल्लेख है:–

"जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में परीक्षायें चल रही हैं, वे परीक्षायें यथावत् चलती रहेंगी। परन्तु जहाँ परीक्षायें नहीं चल रही हैं, वह सारे शिक्षण संस्थायें 22 मार्च, 2020 तक बंद रहेंगी।"

3– उक्त का तात्पर्य है कि जो परीक्षायें वर्तमान में चल रहीं हैं अथवा आगे निर्धारित हैं, उन परीक्षाओं के शैड्यूल में कोई भी परिवर्तन नही किया जायेगा तथा शैक्षिक पंचाग में कोई परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। केवल वे उच्च शिक्षण संस्थान दिनांक 14 मार्च से 22 मार्च, 2020 तक बंद रहेंगे, जिनमें इस अवधि में कोई परीक्षा निर्धारित नहीं है। यदि इन दिनो के दौरान भी कोई परीक्षा निर्धारित हो तो उस दिन शिक्षण संस्थान खोलकर परीक्षा संचालित की जायेंगी।

4– कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि उच्च शिक्षण संस्थान में परीक्षायें पूर्व निर्धारित समय–सारणी के अनुसार ही संचालित की जायेंगी और परीक्षा परिणाम भी पूर्व निर्धारित शैड्यूल के अनुसार घोषित किये जायेंगे।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।